न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या : 91/2014

उनवान

श्रवण कुमार बनाम सुरजा वगै0

1. श्रवण कुमार पुत्र खमाराम आयु 55 वर्ष जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।

–वादी

बनाम

1. सुरजा पुत्र खमाराम आयु जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. बीरबल पुत्रखमाराम जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. राजु पुत्र खमाराम जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।
4. पानादेवी बेवा रामु जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।
5. मदनलाल पुत्र रामु जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।
6. निवास पुत्र धन्नाराम जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।
7. गोरादेवी बेवा मोहन जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।
8. शुभकरण पुत्र मोहन जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।
9. बनारसी पुत्री मोहन जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।
10. सुखी पुत्री मोहन जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।
11. गुडी पुत्री मोहन जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।
12. सरबती बेवा धर्मपाल जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।
13. दयाराम पुत्र धर्मपाल जाति नायक निवासी दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू।
14. भूमि अधिकारी तहसीलदार झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री रणजीत सिंह :– वादी की ओर से।
2. श्री श्रवण सैनी :– राज्य सरकार की ओर से।

दावा बाबतः–घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा

निर्णय **दिनांक :– 31.08.2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम दुराना तहसील व जिला झुन्झुनू में वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 की काश्त की जमीन अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर पुराना 92 तादादी 4 बीघा 13 बिश्वा के हाल खसरा नम्बर 69 रकबा 0.57 है0 व 72 रकबा 0.61 है0, 134/2 तादादी 6 बीघा 16 बिश्वा के हाल खसरा नम्बर 182 रकबा 1.72

उप खण्ड अधिकारी

171 तादादी 8 बीघा 11 बिश्वा के हाल खसरा नम्बर 70 रकबा 0.91 है., 71 रकबा 1.25 134/3/1 तादादी 6 बीघा 11 बिश्वा के हाल खसरा नम्बर 183 रकबा 0.01 है., 34/3/2 तादादी 13 बिश्वा के हाल खसरा नम्बर 184 रकबा 0.96 है., 185 रकबा 0.02 है., 86 रकबा 0.40 है., 187 रकबा 0.03 है., 188 रकबा 0.40 है. बने। इस जमीन में से मुकन्दा जमीन जैर बहस गत खसरा नम्बर 92 तादादी 4 बीघा 13 बिश्वा की वसीयत वादी के हक में कर दी व वसीयत डीड राईटर घनश्याम से दिनांक 09.04.1981 को गवाहान के सामने लेखवाकर व गवाहान के सामने अपने हस्ताक्षर कर दिये। उप पंजीयक झुन्झुनू के यहां दिनांक 09.04.1981 को पेश किया जिस पर उप पंजीयक ने वसीयत पेश होने पर वसीयत की रजिस्ट्रेशन फीस जमा की व यह वसीयत उप पंजीयक के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3 पृष्ठ संख्या 7 से 9 पर दिनांक 23.04.1981 को दर्ज की गई है। वादी उक्त जमीन पर कब्जा काश्त है व लगान अदा करता है। मुकन्दाराम के देहान्त होने के बाद जमीन जैर बहस का नामान्तकरण उक्त मुकन्दाराम के वारिसान के नाम भरा गया उक्त समय ववादी ही वादी के नाम से वसीयत के आधार पर गत खसरा नम्बर 92 तादादी 4 बीघा 13 बिश्वा वादी के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। वादी के पिता के देहान्त होने पर जमीन जैर बहस में गत खसरा नम्बर 92 जिनके हाल खसरा नम्बर 62 व 72 को छोड़कर शेष जमीन में वादी के पिता खमाराम की जमीन में वादी का 1/5 हिस्सा होने से नामान्तकरण संख्या वादी के हक हकुकों के खिलाफ बेअसर होने से निरस्त किया जाकर के जमीन जैर बहस में खमाराम के हिस्से की जमीन में वादी के 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि घोषण इस आशय की प्रदान की जावे कि जमीन जैर बहस वर्णित धारा 2 वाद पत्र में मुकन्दाराम द्वारा की गई वसीयत के आधार पर गत खसरा नम्बर 92 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 69 तादादी 0.57 है., व खसरा नम्बर 72 तादादी 0.61 है. का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। जमीन जैर बहस में नामान्तकरण संख्या 57 तसदीक दिनांक 20.11.88 में दर्ज खमाराम के वारिसान मे वादी का नाम दर्ज होने नामान्तकरण संख्या 57 वादी के हक हकुकों पर बेअसर घोषित किया जाकर जमीन जैर बहस वर्तमान खसरा नम्बर 69 व 72 में वादी को अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर शेष जमीन में स्व0 खमाराम के हक व हिस्से की जमीन में वादी को 1/5 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 की तामिल विधिवत रूप से होने के वाबजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हमने वाद पत्र व वसीयत में वर्णित तथ्यों व राजस्व रिकार्ड प्रदर्श 1 लगायत 5 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए लिखित बहस वादी पर बगौर मनन किया गया जिससे वसीयत दिनांक 09.04.1981 के द्वारा वसीयत उप पंजीयक झुन्झुनू के यहां तस्दीक हुई है। नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 20.11.1988 को स्वीकार किया जाना

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

ाहिर है। उक्त नामान्तरण में वादी के पक्ष में कोई अंकन नहीं किया गया है। पत्रावली में पलब्ध दस्तावेजातों/तथ्यों से वादी यह तथ्य साबित करने में असफल रहा कि वादी श्रवण ुमार वसीयतकर्ता श्री मुकन्दाराम का पौत्र/वारिस तथा खमाराम का पुत्र है एवं उक्त सीयत श्री मुकन्दाराम द्वारा की गई अंतिम वसीयत है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर वाद ादी सिद्ध नहीं होने पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वाद वादी सिद्ध नहीं होने पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें तदअनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.08.2021 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)